Central Government whether you had applied your mind at that stage.

SHRI BABAGOUDA PATIL: I need a separate notice for that. ....*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: It is all right ....*(Interruptions)*....

श्री रमाशंकर कौशिक: मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हाल में 13.5.98 को पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में पंचायतों की कार्य प्रणाली की समीक्षा की गयी थी और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के ढांचे और कार्यों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कार्य दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। तो श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस कार्य दल में कौन-कौन सदस्य होंगे? क्या केवल केन्द्र से ही वह कार्यदल गठित होगा या विभिन्न प्रदेशों से भी उसमें लोग जाएंगे? और दूसरा प्रश्न है कि इस बात को भी क्या यह कार्यदल देखेगा कि बहुत सी जगहों पर पंचायती राज बने हैं और उसके मुताबिक संस्थाएं बनी हैं। ऐक्ट के मुताबिक उनमें ऐसी कोशिश की जा रही है कि उसके स्वरूप को ही बदला जा रहा है कि निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त कहीं-कहीं 10-10, 5-5, 6-6 आदमियों को नॉमीनेट करके सरकार भेज रही है। तो उसका स्वरूप बदल जाता है। जो चुनाव से चुने हुए लोग गये हुए हैं— इस ऐक्ट में यह व्यवस्था है कि चुनाव से जो चुने हुए लोग जाएंगे, उन्हीं लोगों को उसमें वरीयता दी गयी है और केवल ऐसे लोगों को, ऐक्सपर्ट्स को उसमें रखा जाएगा जो वहां के कामों को जानते होंगे लेकिन उन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा। पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको वोट देने का अधिकार भी दे रखा है और उसके पूरे स्वरूप को बदल दिया है। इसी के साथ ही इस बात की भी कोशिश वहां की जा रही है कि विभिन्न दलों से जो जिला पंचायत अध्यक्ष चुने गये हैं, उनको हटाने की मुहिम की जाए, उनके वित्तीय अधिकार छीने जाएं। इस प्रकार की भी कोशिश हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या कार्यबल इस बात को भी देखेगा कि इन संस्थाओं का स्वरूप न बदलने पाए और इन संस्थाओं को अपने स्वतंत्र रूप से काम करने की सुविधा, जैसे कि ऐक्ट के मुताबिक है, वह उन्हें प्राप्त होती रहे?

SHRI BABAGOUDA PATIL: Sir, this Task Force consists of a Union Minister as its Chairman and the Ministers of Rural Development and Panchayati Raj of West Bengal, Rajasthan, Karnataka, Punjab and many educationists, experts and senior officials are the members of this Task Force. The total number of members comes to 25. As far as part (b) of the question is concerned, I would like to say that the 73rd Amendment gives guidelines to the State Governments to frame rules and make a legislation. It is left to the State Government to see whether the nominations should be made or not.

TWRF for state Textile Mill Workers

*604. SHRI GHUFRAN AZAM:†
SHRI RAMJI LAL:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Textile Workers Relief Fund (TWRF) Scheme introduced in 1986 to give relief to the workers of all closed textile mills was manipulated to deprive the relief under this scheme to State Public Undertaking textile mills on the basis of some imaginary compensation packages which were never made available to them;

(b) if so, the number of such workers, mill-wise, and region-wise, and the justification for denying relief to them under this scheme; and

(c) the remedial measures contemplated by Government to obviate this brazen injustice being done to these helpless workers?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No Sir. While only one State Public Sector textile mill, located in Himachal Pradesh, closed under section 25(O) of the Industrial Disputes Act, 1947, involving 158 workers, had applied for relief under the Textile Worker's Rehabilitation Fund Scheme (TWRFS), it has not been possible to extend the benefits under TWRFS to these workers, as the benefits

under this Scheme, since its inception, have been extended to the mills in the private sector only.

(b) and (c) Do not arise.

श्री गुफ़रान आज़म: माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कपड़ा मजदूर राहत योजना 1986 में बनाई गई थी। यह योजना इसलिए बनाई गई थी कि यदि कोई मिल बन्द हो जाए तो उनके मजदूरों को पुनर्वास के लिए राहत मिल सके। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह योजना जब बनाई गई उस समय क्या सिर्फ सरकारी और गैर-सरकारी लफ्ज का उल्लेख किया गया था या नहीं किया गया था? जैसा कि आपने बताया कि इस योजना के तहत सिर्फ गैर-सरकारी मजदूरों को ही राहत मिलेगी, सरकारी मजदूरों को नहीं मिलेगी। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी योजना क्यों बनाई गई और किस उद्देश्य से बनाई गई है और वर्तमान में आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं?

श्री काशीराम राणा: सर, टेक्सटाइल वर्कर रिहेबिलिटेशन फण्ड की योजना 1985 में बनाई गई। जब टैक्सटाइल पालिसी बनी तो इसके अन्तर्गत यह योजना बनाई गई। तब से लेकर आज तक जो देश में प्राईवेट मिले हैं और इसके संबंध में हमने जो नार्म्स तय किए हैं, उन नार्म्स के मुताबिक जो भी मजदूर इस योजना का लाभ लेने के लिए एलिजेबल हैं उनको अभी तक गवर्नमेंट ने बेनीफिट्स दिए है। इसके साथ-साथ माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि सरकारी मिलों के लिए क्या आगे सोचा जाएगा। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी तक देश भर में से सिर्फ एक ही हिमाचल प्रदेश में स्थित वस्त्र मिल ने ही मजदूरों के लिए बेनीफिट मांगा था इसके अलावा और किसी ने नहीं मांगा। जो नार्म्स हैं उनके अनुसार ही हम बेनीफिट्स देते है। नई टैक्सटाइल पालिसी बन रही है और जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उसमें इसके बारे में हम जरूर सोचेंगे।

श्री जीवन राय: उन्होंने पूछा था कि कानून में क्या था?...**(व्यवधान)**...

श्री गुफ़रान आज़म: सर, मैंने पूछा था कि यह योजना क्या केवल गैर-सरकारी मिलों के लिए बनाई गई थी? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह मजदूरों की डेफिनेशन क्या समझते हैं? क्या जो सरकारी मिलों में काम करेगा वह मजदूर नहीं है और जो गैर सरकारी मिलों में काम करेगा वह मजदूर है? सरकार का करोड़ों रुपया जो बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मिल्स हैं उनके मजदूरों में तो बांटा जा रहा है लेकिन जो सरकारी मिले हैं उनके मजदूरों को कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। क्या सरकार उनको मजदूर नहीं मानती है? जैसा अभी आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश की मिल में सिर्फ 158 मजदूर थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास टीडब्ल्यूआरएफ में धन की कमी है? जैसा मुझे मालूम है कि आपने एक करोड़ 38 लाख रुपया यूटिलाइज नहीं किया और वापस कर दिया। आप सरकारी मिलों के मजदूरों को पैसा नहीं देना चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे है?

श्री काशीराम राणा: सर, सवाल 158 मजदूर हैं इसका नहीं है। सवाल तो टैक्सटाइल वर्कर्स रिहेबिलेशन फंड की स्कीम का है। उसका जो क्राइटएरिया तय किया है उसके संबंध में जो सरकारी मिले हैं और उनके बन्द होने की वजह से मजदूर अगर बेकार हुए हैं तो जरूर स्टेट गवर्नमेंट इसके बारे में सोच सकती है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमने पैसा वापस कर दिया है, हमने पैसा वापस नहीं किया है, क्योंकि अभी तक हमने 101 करोड़ रुपया बांटा है और उसकी हमने पूरी रिपोर्ट दी है। जिसमें से गुजरात के 38,139 वर्कर्स को 79.82 करोड़ मिला है, महाराष्ट्र के 2,261 मजदूरों को 392 करोड़ मिला है, तमिलनाडु के 4,177 मजदूरों को 6.04 करोड़ मिला है। और दिल्ली के 5,159 मजदूरों को मिला है 11.49 करोड़ रुपया। इस प्रकार 49,546 मजदूरों को अभी तक हमने 101.70 करोड़ रुपए बांटे हैं। इतना ही नहीं इसी साल 98-99 में हमने 4.96 करोड़ रुपए का मजदूरों को डिस्ट्रिब्यूशन किया है। इसके अलावा यदि हमारे पास मजदूरों की एप्लीकेशन्स आयेंगी तो उसके आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अभी भी सरकार के पास 15.42 करोड़ रुपया बचा है।

श्री गुफरान आज़म: सर, मैं पूछ रहा हूं कि क्या जो मजदूर पब्लिक अंडरटेकिंग में काम करते हैं वे मजदूर नहीं है और गैर सरकारी मिलों में काम करते हैं वे मजदूर हैं? आप मजदूर-मजदूर में यह फर्क क्यों कर रहे हैं? सरकारी मिलों में जो काम करते हैं उनको आप क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री काशीराम राणा: सर, सैण्ट्रल पब्लिक अंडरटेकिंग के लिए नेशनल रिनुअल फंड में से पैसा दिया जाता है। जिस प्रकार से मजदूरों को मिल रहा है मैं वह बता रहा हूं कि वह नेशनल रिनुअल फंड है। वह जो सैंट्रल की पब्लिक अंडरटेकिंगस है इसके लिए वे दे रहे है।

श्री रामजीलाल: सभापति जी, मंत्री जी बड़े काबिल हैं और कपड़े के बारे में बड़े जानकार हैं। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि अन-स्टार्ड प्रश्नों के उत्तर संतोषजनक नहीं आ रहे हैं। इस पर मैंने 27 जुलाई...

श्री सभापति: आप सप्लीमेन्टरी प्रश्न पूछिए। पिछली बात मत कीजिए।

श्री रामजीलाल: सभापति जी, मैं बताना चाहता हूं कि...

श्री सभापति: आप बताइये नहीं, सवाल कीजिए।

श्री रामजीलाल: सर, जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि टी०डब्लू०आर०एफ० योजना बन्द होने वाली कपड़ा मिलों के मजदूरों को पुनर्वास राहत प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन ये समझते हैं कि पब्लिक सैक्टर के मजदूर तो बड़े अमीर हैं और प्राइवेट सैक्टर के मजदूर गरीब हैं। इतना डिस्क्रिमिनेशन, इतना भेदभाव नहीं होना चाहिए कि उनकी कपड़ा मिलें बन्द हों तो उनको तो दे दिया जाए....

श्री सभापति: इसका जवाब वे दे चुके हैं।

श्री रामजीलाल: सर, मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए यदि कोई प्रावधान नहीं है तो संशोधन करके कोई प्रावधान करता कि उन मजदूरों के साथ बेइन्साफी न हो जिनको यह रिलीफ नहीं मिल रहा है?

श्री काशीराम राणा: सर, मैंने पहले ही माननीय सदस्य के सवाल के जवाब में बताया कि नई टेक्सटाइल पालिसी होगी तो उसमें जरूर हम ये प्वाइन्ट कवर कर लेंगे।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं, कृपया वे यह बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो कपड़ा मजदूर बन्द मिलों से जुड़े हुए हैं उन्हें अनुदान क्यों नहीं दिया जा सका? वहां सरकारी मिलें भी बन्द हैं और गैर सरकारी मिलें भी बन्द हैं।

श्री काशीराम राणा: सर, चाहे यूपी हो या देश का कोई अन्य राज्य हो, एन०टी०सी० की मिलों को सरकार बराबर वेजेज दे रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने की देरी हो जाती है। ...(**व्यवधान**)..

श्री नरेन्द्र मोहन: सर, यह गलत बात है, यह गलत बयानी है कि एक महीने से अधिक की देरी हो रही है। कानपुर के मजदूरों की हालत बहुत खराब हो रही है, इसके बारे में क्या कहना है?

श्री काशीराम राणा: सर, जहां तक कानपुर की बात है वहां बी०आई०सी० की मिलें हैं। मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पिछली सरकार ने मार्च, 98 तक वेजेज देने के बाद मिलों को बन्द करके रेज्योल्यूशन, रेज्योल्व किया था। लेकिन फिर भी सरकार ने मजदूरों की हालत को देखते हुए इस पर री-फिकिंग किया, री-कंसीडर किया और मार्च, 98 से सेलरी बन्द थी, उसे हमने जुलाई के अंत तक चालू कर दिया है।

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Sir, this scheme was introduced when most of the mills were under private sector. Thereafter, when the NTC and other sick textile mills were brought under the control of the Government, it was thought that they would be suported through the regular Budget of the Government of India, and the scheme was not extended. But, in the context of the changed situation, when a large number of public sector mills have become sick, instead of having multiplicity of the scheme why not the Government can consider merging the renewal fund and this fund and bring all the textile workers of the sick and closed mills under the purview of one scheme?

MR. CHAIRMAN: Now, Question Hour is over. Papers to be laid on the Table of the House.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Export of Textiles

*601. SHRI O.P. KOHLI: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the quantum of textiles, both cloth and readymade garments, exported during the last one year; and

(b) the steps taken/under contemplation to augment textile exports?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI KASHIRAM RANA): (a) The exports of Cloth and Readymade